न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 35/20 GCMS NO 2020/00089

हरिविलास पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी थडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र लक्ष्मण
2. बीरवल पुत्र लक्ष्मण
3. कमल प्रसाद पुत्र प्रभूलाल
4. मु0जसोदा पत्नि स्व0प्रभूलाल
5. रामविलास पुत्र रामधन
6. जयसिह पुत्र रामधन
7. लालाराम पुत्र रामधन
8. गुडडी पुत्री रामधन
9. मु0गुलाब देवी पत्नि स्व0रामधन जाति गुर्जर निवासीयान थडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये भू अवाप्ति अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
11. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बौली जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्व मु0नं0 1028/18 निर्णय दिनांक 26.11.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री गिर्राज सिह गुर्जर

अभिभाषक रैस्पो0 श्री हिम्मत सिह राजावत

दिनांक 29.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.11.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधा… इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व प्रति0संख्या 5 लगायत 9 ग्राम थडी तहसील बौली के निवासी है तथा प्रार्थीगण व प्रति0संख्या 5 ता 9 एक ही पूर्वज स्व0लक्ष्मण की संतान [illegible] ग्रस्त आराजीयात ग्राम थडी मे स्थित है। जिसका खाता संख्या नया 41 पुराना 63 [illegible]/0.01, 840/1.37, 841/0.01,842/0.10,843/0.08,892/0.41, 893/0.37 [illegible] 0.05 है0 रहे है इसी प्रकार खाता संख्या नया 495 पुराना 128 के खसरा न0 883/0.80, [illegible]4/0.46 रहे है। उक्त [illegible] की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी भी कालान्तर मे प्रार्थीगण के साथ 1/2 हिस्से मे मौजीराम पुत्र सीताराम के नाम नामांकन कर दिया गया जो मुकदमा संख्या 337/2000 मे पारित निर्णय दिनांक 24.4.01 व डिक्री दिनांक 27.4.01 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी संपूर्ण दर्ज करने के आदेश जारी किये गये जिसकी पालना मे जमाबंदी सम्वत 2052 मे विषयक नामा0 संख्या 950 का अमल भी किया गया लेकिन राजस्व कर्मियो की गलती से उक्त नामा0 की पुनरावृति संवत 2063 की जमाबंदी मे नही होने से उक्त आदेश एवं निर्णय व डिक्री के बाबजूद आज भी जमाबंदी मे पूर्ववत इन्द्राज चला आ रहा है जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्ती किया जाकर खाता संख्या 41 की सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थीगण व प्रति0संख्या 5 ता 9 के नाम अंकित किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के पूर्वज स्व0लक्ष्मण का कब्जा काश्त एवं खातेदारी चली आ रही थी जिसमे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का कोई लेना देना नही थां। जो सवंत 2019 से 2022 की खतौनी से स्पष्ट है। जिसका कुल रकबा 14 बीघा 13 विस्वा होता है। जिसमे से 155 का रकबा अन्य स्थान पर स्थित है जो विवादित नक्शा ट्रेस वाले स्थान पर मौजूद है वह 11 बीघा 11 विस्वा शेष रहती है। कालान्तर मे उक्त भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज के नाम चली आ रही भूमि मे से रकबा 3 बीघा 11 विस्वा राजस्व कार्मिको की गलती से स्व0लक्ष्मण की खातेदारी कम हो गई एवं 11 बीघा 11 विस्वा मे से 8 बीघा अर्थात 2.03 है0 रह गई जबकि उक्त समस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण का अबाध कब्जा काश्त एवं खातेदारी रही है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण के पुख्ता मकानाम आदि भी अपनी उक्त भूमि मे स्थित है एवं कुआ भी मौजूद है। चूकि प्रार्थीगण के पूर्वज लक्ष्मण अनपढ व्यक्ति थे जिन्होने कब्जे को ही सर्वोपरी मानकर कभी खातेदारी रिकार्ड मे गलती की ओर कोई ध्यान नही दिया जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 की खातेदारी मे स्व0लक्ष्मण की खातेदारी रकबा 11 बीघा 11 विस्वा के स्थान पर 8 बीघा ही रह गई जबकि कब्जा आज भी हम वारिसान का संपूर्ण भूमि पर है। जिसमे खाता संख्या 41 की संपूर्ण भूमि के साथ साथ खाता संख्या 495 का खसरा न0 883 संपूर्ण एवं ख0न0 884 मे 0.83 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं प्रति0संख्या 5 ता 9 की बनती है। उक्त समस्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 2 का कोई लेना देना नही है। यहॉ तक की अप्रार्थी संख्या 2 की कोई भूमि कब्जाशुदा,खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के कुए खसरा न0 839 मे चौतरफ मौजूद नही है परन्तु सेटलमेंट कर्मियो की त्रुटि से खसरा न0 883 व 884 की खातेदारी मे अप्रार्थी संख्या 2 के नाम का अंकन कर दिया जिसे दुरूस्त कराना आवश्यक है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि से एक्सप्रेस वे स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने की संभावना से उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण के साथ साथ उक्त गलत अंकन के कारण अप्रार्थी संख्या 2 लेना चाहता है जिसे रोका जाना आवश्यक है एवं प्रार्थीगण को यह अधिकार हासिल है कि अप्रार्थी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। यदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को पाबंद फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 495 मे अपने नाम का अंकन होने एवं खसरा न0 883 व 884 की जिनकी पूर्व मे प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पूर्वज स्व0लक्ष्मण की खातेदारी भूमि थी जिसके गलत इन्द्राज के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि मे मिलने वाले मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानो का सही प्रकार से अवलोकन नही किया है तथा इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की कोई तामिल नही हो पाई एवं एक तरफा मे एक पक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि आराजी खसरा न0 883 रकबा 0.8000 एवं खसरा न0 884 रकबा 0.4600 है वाके ग्राम थडी तहसील बौली मे स्थित है जो अपीलांट हरिराम ने आज से करीब 30 साल पूर्व छीतर साई पुत्र माधो साई निवासी थडी तहसील बौली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी थी जब से ही मौके पर अपीलांट कब्जा काश्त करता चला आ रहा है आज भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पो0 का कोई संबंध वास्ता नही है एवं अपीलांट ने बीआरजीवी शाखा बौली से ऋण लेकर रहन रख रखी है जिसको अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया है। निर्णय दिनांक 24.4.01 डिक्री दिनांक 27.4.01 मु0न0 337/2000 न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के वाद पत्र मे हरिराम अपीलांट का कोई संबंध वास्ता नही था क्योकि सीताराम एवं लक्ष्मण दोनो भाई थे जिनकी संतानो ने वाद पत्र पेश किया था जिससे अपीलांट हरिराम का कोई संबंध वास्ता नही था । रेस्पो0 1 ता 9 का गौत्र डागुर है जबकि अपीलाट हरिराम का गौत्र बोरवाल है इसलिए अपीलांट व रेस्पो0 का कोई वास्ता नही है। रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय मे झूठा वाद पत्र पेश किया है एवं कोई सजरा खानदान पेश नही किया तथा न्यायालय को गुमराह किया है। अपीलांट की आराजी से रेस्पो0 का कोई संबंध वास्ता नही है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1028/2018 मे पारित आदेश दिनांक 26.11.18 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 839,840,841,842,843,892,892/3373 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 है0 वाके ग्राम थडी तहसील बौली प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी [illegible] पूर्व मे 1/2 हिस्सा गंगजी,कालू,नरसी पिसरान मौजीराम व रामसुखी [illegible] के [illegible] दर्ज थी। जिसके बाबत वाद पत्र मु0न0 337/2000 न्यायालय सहायक कलेक्टर [illegible] प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपना निर्णय व डिक्री 24.4.01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा सम्पूर्ण भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना मे नामा0 संख्या 950 दिनांक 17.5.02 को खोला जाकर सम्पूर्ण रकबा प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया। परन्तु जमाबंदी मे उक्त नामा0 का नोट अंकित नही दोहराये जाने के कारण पूर्ववत इन्द्राज 1/2, 1/2 हो गया। इसके आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे सिर्फ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट की बिना तामिल के ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की तामिली प्रोपर उनके पिता प्रभू द्वारा प्राप्त की गई है। विवादित आराजीयात खाता संख्या 495 के ख0न0 883 व 884 की खातेदारी के विषय मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे खातेदारी अधिकारो का निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त तय होगे। विवादित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही है। राजस्व कर्मियो की गलती से विवादित आराजीयात का इन्द्राज अपीलांट के नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि मे से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलाने के कारण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि का मुआवजा अपीलांट लेना चाहता था जबकि अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। गलत इन्द्राज के आधार पर यदि अपीलांट को मुआवजा राशि प्रदान की जाती है तो प्रार्थी/रेस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होना संभव है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया केस रेस्पो0 के पक्ष मे साबित माना है एवं अपूर्णनीय क्षति भी रेस्पो0 को होना माना गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाइ जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 883 रकबा 0.8000 एवं 884 रकबा 0.4600 है0 वाके ग्राम थडी को अपीलांट द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व छीतर साई पुत्र माधोसाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। इसी प्रकार रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 के पूर्वज स्व0लक्ष्मण की खातेदारी की आराजीयात रही है जिसे सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा गलत तरीके से अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरूस्त कराने हेतु वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलांट राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने पर उतारू है जबकि उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। एक्सप्रेस हाईवे मे अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि के भुगतान को संबंध मे उपखण्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ आपत्ति दर्ज कराने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहॉ विविध दीवानी प्रकरण संख्या 22/21 पेश किया गया था जिसमे अपीलांट हरिराम पुत्र प्रभूलाल भी बतौर पक्षकार संख्या 3 था। उक्त वाद को माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.1.25 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी(समक्ष प्राधिकारी) को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 व 3 व 6 ता 11 के हिस्से अनुसार मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिये गये है जिसमे अपीलांट हरिराम को मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई आदेश नही दिया गया है तथा अपने निर्णय के विवाधक संख्या 1 के द्वारा अपीलांट हरिराम का कोई क्लेम माना है। विवादित आराजीयात के हक एवं अधिकारो के संबंध मे उभयपक्ष के मध्य वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे साक्ष्य सबूतो के उपरान्त उभयपक्ष के हक एवं अधिकारो का निर्धारण हो सकेगा। इस प्रकार अपीलांट का प्राईमाफैसी केस साबित नही होता है तथा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1028/18 मे पारित निर्णय दिनांक 26.11.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner